

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 अगस्त 2020 — श्रावण 19, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 अगस्त 2020

अधिसूचना

क. बी-1-20/2014/एक/4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, :-

अनुसूची-एक, दो-क एवं दो-ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	स. क्र.	सेवा के लिये स्वीकृत पे मैट्रिक्स के प्रवर्गों का विवरण	पे मैट्रिक्स	प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग	1.	कनिष्ठ वेतनमान	पे-मैट्रिक्स लेवल-12	224	द्वितीय श्रेणी
	2.	वरिष्ठ वेतनमान	पे-मैट्रिक्स लेवल-13	116	प्रथम श्रेणी
	3.	प्रवर श्रेणी	पे-मैट्रिक्स लेवल-14	84	प्रथम श्रेणी
	4.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	पे-मैट्रिक्स लेवल-15	27	प्रथम श्रेणी
	5.	अधिसमय वेतनमान	पे-मैट्रिक्स लेवल-16	14	प्रथम श्रेणी

अनुसूची-दो-क

(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कॉलम (2) में दर्शित भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		टिप्पणियां
		सीधी भरती	पदोन्नति से	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग	465	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति, तहसीलदार / अधीक्षक, भू-अभिलेख की श्रेणी से की जाएगी (इन पदों में से 04 पद पात्र तथा उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे।)

अनुसूची-दो-ख

(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	रा.प्र.से. में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	पे मैट्रिक्स का नाम जिससे नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जानी है	पे मैट्रिक्स का नाम जिस पर नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जानी है	वर्ष की एक जनवरी को उच्चतर वेतनमान के लिये अपेक्षित अर्हित सेवानुभव	नियत प्रतिशत तथा पदों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग	465	(1) कनिष्ठ वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-12	वरिष्ठ वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13	नियम 21 के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 25 % अर्थात् 116 पद
		(2) वरिष्ठ वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13	प्रवर श्रेणी पे-मैट्रिक्स लेवल-14	नियम 21-क के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 18 % अर्थात् 84 पद
		(3) प्रवर श्रेणी पे-मैट्रिक्स लेवल-14	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी पे-मैट्रिक्स लेवल-15	नियम 21-ख के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 6 % अर्थात् 27 पद
		(4) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी पे-मैट्रिक्स लेवल-15	अधिसमय वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-16	नियम 21-ग के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 3 % अर्थात् 14 पद

टीप :- कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रवर, वरिष्ठ प्रवर तथा अधिसमय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों से अधिक नहीं होगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 10th August 2020

NOTIFICATION

No. B-1-20/2014/1/4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh State Administrative Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1975 namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For schedule-I, II-A and II-B the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULED-I

(See Rules 5)

(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	S. No.	Description of categories of pay matrix Sanctioned for the service	Pay Matrix	Number of Permanent posts sanctioned in each scale	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department	1.	Junior Scale	Pay Matrix Level-12	224	Class-II
	2.	Senior Scale	Pay Matrix Level-13	116	Class-I
	3.	Selection Grade	Pay Matrix Level-14	84	Class-I
	4.	Senior Selection Grade	Pay Matrix Level-15	27	Class-I
	5.	Super Time Scale	Pay Matrix Level-16	14	Class-I

" SCHEDULED -II-A

(See Rules 6)

(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	Total number of posts sanctioned in service	Percentage of posts shown in column (2) to be filled in by		Remarks
		Direct Recruitment	Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
General Administration Department	465	60%	40%	Promotion to the junior scale in the State administrative. Service will be from Tehsildar/ Superintendent Land Records category (04 post from these posts shall be reserved for the Superintendents. of the office of Commissioners and Collectors subject to the availability of eligible and suitable persons.)"

" SCHEDULED -II-B

(See Rules 6)

(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	Total number of posts sanctioned in SAS	The Name of the pay matrix level Form Which Appointment (Kromonnati) is to be given	The Name of the pay matrix level to Which Appointment (Kromonnati) is to be given	The requisite qualifying service experience on 1st January of the year for higher scale	Fixed percentage and maximum number of posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department	465	(1) Junior Scale Pay Matrix Level-12	Senior Scale Pay Matrix Level-13	As per rule 21	25% of total post sanctioned in Cadre i.e. 116 posts
		(2) Senior Scale Pay Matrix Level-13	Selection Grade Pay Matrix Level-14	As per rule 21-A	18% of total post sanctioned in Cadre i.e. 84 posts
		(3) Selection Grade Pay Matrix Level-14	Senior Selection Grade Pay Matrix Level-15	As per rule 21-B	6% of total post sanctioned in Cadre i.e. 27 posts

		(4) Senior Selection Grade Pay Matrix Level-15	Super Time Scale Pay Matrix Level-16	As per rule 21-C	3% of total post sanctioned in Cadre i.e. 14 posts
--	--	--	---	---------------------	---

Note :- The total number of officers working in Junior, Senior, Selection, Senior selection grade and Super Time Scale not exceed the total posts sanctioned in the Cadre."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Deputy Secretary.